संख्या : बी–2–2528/दस–2014–10/77

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 26 अगस्त, 2014

विषय : योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन तथा व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि में संशोधन ।

महोदय,

"व्यय" के महत्वपूर्ण प्रस्तावों के सभी पहलूओं पर जांच करके तत्परता से अन्तिम निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से "व्यय वित्त समिति" का गठन किया गया था और शासनादेश संख्या–बी–2–84/दस–1996–10/77टी.सी. दिनांक 03 अप्रैल, 1996 के साथ पठित शासनादेश संख्या बी–2–2270/दस–1998/10/77टी.सी. दिनांक 24 जुलाई, 1998 द्वारा समिति की सदस्यता, कार्य प्रक्रिया, कर्तव्य तथा कार्यक्षेत्र आदि के संबंध में विस्तृत आदेश जारी किये गये हैं ।

2– योजनाओं / परियोजनाओं की लागत में वर्ष 1996 से समय के साथ हुयी वृद्धि के फलस्वरूप योजनाओं / परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों को व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने की सीमा में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है । अतः व्यय के ऐसे प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण व अनुमोदन किये जाने तथा व्यय वित्त समिति की सदस्यता, कार्यक्षेत्र आदि के सम्बन्ध में जारी कार्यालय–ज्ञाप संख्या बी–2–84/दस–10/77टी.सी. दिनाँक 03 अप्रैल, 1996 को राज्यपाल महोदय निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं –

3– समिति के सदस्य – 'व्यय वित्त समिति' के निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(1) प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यावरण	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव / सचिव, प्रशासकीय विभाग	सदस्य
(5) लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो मुख्य अभियन्ता के स्तर से कम न हों ।	सदस्य
(6) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश ।	सदस्य–संयोजक
(7) निर्माण एजेन्सी के प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता	विशेष आमंत्री

4– योजनाओं / परियोजनाओं में व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य के परीक्षण का स्तर निम्नवत् होगा –

क्र. सं.	परियोजना में व्यय के प्रस्ताव	व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का परीक्षण
1	5 करोड़ रुपये तक	प्रशासकीय विभाग
2	5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 25 करोड़ रुपये तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हों)
3	5 करोड़ रुपये से अधिक एवं 25 करोड़ रुपये तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हों)
4	25 करोड़ रुपये से अधिक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति

5– उपरोक्तानुसार परियोजनाओं में व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल), उनके औचित्य का परीक्षण एवं संस्तुति के उपरान्त, 25 करोड़ रूपये तक के व्यय के प्रस्तावों पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन, 25 करोड़ रूपये से अधिक एवं 100 करोड़ रूपये तक के व्यय के प्रस्तावों पर माननीय विभागीय मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन, 100 करोड़ रूपये से अधिक एवं 200 करोड़ रूपये तक के व्यय के प्रस्तावों पर माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन तथा 200 करोड़ रूपये से अधिक के व्यय के प्रस्तावों पर माननीय मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

6– उक्त के अतिरिक्त यदि किसी परियोजना में भवन का मानकीकरण किया जाना है तो इस सम्बन्ध में मानकीकरण प्रस्ताव का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्य का परीक्षण एवं संस्तुति व्यय वित्त समिति द्वारा और प्रस्तर–5 के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

7– परियोजनाओं की लागत में पुनरीक्षण की दशा में परियोजना की लागत के 10 प्रतिशत तक पुनरीक्षण का अधिकार प्रशासकीय विभाग को होगा तथा परियोजनाओं के पुनरीक्षित आगणन में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने पर ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन (अप्रेजल) पी.एफ.ए.डी. द्वारा तथा 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की दशा में पुनरीक्षित परियोजना का मूल्यांकन एवं उस पर विचार व्यय वित्त समिति के द्वारा किया जायेगा । रुपये 25.00 करोड़ से अधिक की पुनरीक्षित लागत होने की दशा में समस्त प्रस्ताव, भले ही उनमें वृद्धि प्रतिशत कुछ भी हो, व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे । पुनरीक्षण के सभी प्रकरणों में प्रस्तर–5 के अनुसार ही सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

8– व्यय के ऐसे प्रस्तावों जिनमें केन्द्र सरकार का अंश 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, का परीक्षण पी.एफ.ए.डी. / व्यय वित्त समिति द्वारा नहीं किया जायेगा । ऐसे प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा जो केन्द्रांश अनुमन्य किया जायेगा, उसी के सापेक्ष समानुपातिक रूप से राज्यांश की स्वीकृति दी जा सकेगी ।

9– ऐसी योजनायें / कार्यक्रम (केन्द्र पोषित / बाह्य सहायतित तथा राज्य / जिला सेक्टर) जिनमें प्रतिवर्ष आवर्तक व्यय निहित है और लाभार्थी को किसी प्रकार की सब्सिडी / सहायता अनुदान (नकद / वस्तु के रूप में) के रूप में दिया जाना है, ऐसी सभी योजनाओं / कार्यक्रमों में दी जाने वाली धनराशि, लाभार्थी की पात्रता, लाभार्थी की संख्या तथा अनुमानित कुल व्यय आदि के सम्बन्ध में माननीय मंत्रि परिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

10– व्यय वित्त समिति की कार्य–प्रक्रिया, कर्तव्य तथा कार्यक्षेत्र आदि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–2–84/दस–1996–10/77–टी.सी. दिनाँक 03 अप्रैल, 1996 की शेष व्यवस्थायें / शर्तें यथावत् रहेंगी ।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त ।

संख्या : संख्या : बी–2–2528/दस–2013–10/77, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
4 प्रमुख सचिव, विधान परिषद् / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।

7 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ. प्र., लखनऊ ।
8 निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ. प्र., लखनऊ ।
9 तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य एकक), योजना भवन, लखनऊ को वित्त विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव, वित्त ।